प्रेस नोट दिनांकः- 01.02.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक-01.02.2021 को जनपद में अपराधियो के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना डिडौली पुलिस द्वारा विवाहिता को दहेज के लिये प्रताडित करने व दहेज ना देने पर दहेज हत्या करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त हरकिशन पुत्र सुखबीर निवासी मौहल्ला मुन्शियान थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा 05 अभियुक्त 1. कल्लू पुत्र योगेश उर्फ जोगेश निवासी रहमापुर माफी थाना बछरायुँ 2. परमानन्द पुत्र शंकर सिंह निवासी विसावली थाना बछरायुँ 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी दौराला थाना बछरायुँ को मय 30-30 लीटर अवैध कच्ची शराब 4. सोनू पुत्र रामप्रसाद निवासी रमपुरा खादर थाना मंडी धनौरा 5. मुस्तकीम पुत्र रफीक नि0 ग्राम कुआखेडा थाना बछरायुँ जनपद अमरोहा को मय 40-40 लीटर अवैध कच्ची सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना बछरायुँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त दीपक पुत्र सुरेश निवासी काशीराम कॉलोनी थाना बछरायुँ जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कुवरपाल पुत्र हरि सिंह निवासी गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस अभियुक्त महफूज पुत्र महमूद निवासी मौहल्ला काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 01 किलो 400 ग्राम डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. अंकुर पुत्र सतवीर 2. सुक्खन पुत्र देवी सहाय नि0गण ग्राम सुतवाली की मढैया थाना रहरा जनपद अमरोहा को मय 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना नौगावां सादात द्वारा 02 व्यक्ति, थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 10 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।